संख्या-210/2026/623के-2/22-3-2025-17(551)/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजीव पुत्र श्री सैहन्सरपाल, निवासी जनपद-मेरठ, हाल जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-20579/प्रोबे0-5/दया0/के0का0आगरा-2686, दिनांक 19.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजीव पुत्र श्री सैहन्सरपाल, ग्राम-सबगा, थाना-छपरौली, जनपद-मेरठ, हाल जनपद-बागपत का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 05-07-2005 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ऋषभ अग्रवाल के चाचा का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांग करते हुए घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1233/2006 में भा0द0वि0 की धारा-364क के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/टी.ई.सी.पी.-02, लखनऊ के आदेश दिनांक 28.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-30,31/2008 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/टी.ई.सी.पी.-02, लखनऊ के आदेशानुसार 05 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 42 वर्ष 11 माह एवं बन्दी द्वारा दिनांक 19.02.2022 तक 12 वर्ष 01 माह 18 दिन अपरिहार 14 वर्ष 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी अंजीव पुत्र श्री सैहन्सरपाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 42 वर्ष 11 माह, बन्दी द्वारा अपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 15 दिन की भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रवृत्ति (अपहरण कर 50 लाख रूपये की मांग) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजीव (बन्दी संख्या-17148) पुत्र श्री सैहन्सरपाल, जनपद-मेरठ, हाल जनपद-बागपत की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।